



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 4, 2017/वैशाख 14, 1939

No. 346]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 4, 2017/VAISAKHA 14, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2017

सा.का.नि. 436(अ).—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी भविष्य-निधि स्कीम, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य-निधि (छठा संशोधन) स्कीम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. कर्मचारी भविष्य-निधि स्कीम, 1952, के पैरा 72, के उप-पैरा (5), के खंड (ड.) और उसके परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(ड.) व्यक्ति जिसको संदाय किया जाना है, को किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या किसी डाकघर की इलैक्ट्रॉनिक या डिजिटल निधि अंतरण प्रणाली के माध्यम से संदाय किया जाएगा।”

[फा. सं. एस-35012/7/2016-एसएस-II]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण: कर्मचारी भविष्य-निधि स्कीम, 1952 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक का.नि. आ. 1509 तारीख 2 सितंबर, 1952 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 404(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2017 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2017

G.S.R. 436(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of section 7 of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Sixth Amendment) Scheme, 2017.
(2) It shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, in paragraph 72, in sub-paragraph (5), for clause (e) and the proviso thereto, the following shall be substituted, namely:—

“(e) The payment may be made to the person, to whom payment is to be made, through electronic or digital funds transfer system of any Scheduled commercial bank or any post office.”

[F. No. S-35012/7/2016-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

Note: The Employees' Provident Funds Scheme, 1952 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number S.R.O. 1509, dated the 2nd September, 1952 and last amended *vide* notification number G.S.R. 404(E) dated the 25th April, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2017

सा.का.नि. 437(अ).—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995, के पैरा 33 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“ 33. पेंशन का संवितरण और अन्य प्रसुविधाएं.— (1) आयुक्त केंद्रीय बोर्ड के अनुमोदन से संवितरण अभिकरणों जैसे डाकघर या राष्ट्रीय बैंक या निधियां अथवा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या कॉर्पोरेटिव बैंक भी है, के साथ इस योजना के अधीन पेंशन के संवितरण और अन्य प्रसुविधाओं के लिए इलैक्ट्रॉनिक और डिजिटल निधि अंतरण प्रणाली के माध्यम से व्यवस्था करेगा।

(2) संवितरण अभिकरणों को देय कमीशन और उसके अनुषंगिक अन्य प्रभार स्कीम के पैरा 27 में यथाउपबंधित अनुसार होंगे।”

[फा. सं. एस-35012/7/2016-एसएस-II]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण: कर्मचारी भविष्य-निधि स्कीम, 1952 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. आ. 748(अ) तारीख 16 नवंबर, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.-1191(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2016 द्वारा किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2017

G.S.R. 437(E).—In exercise of the powers conferred by section 6A read with sub-section (1) of section 7 of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Pension Scheme, 1995, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Pension (Amendment) Scheme, 2017.
- (2) It shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Employees' Pension Scheme, 1995, for paragraph 33, the following shall be substituted, namely:-

“33. **Disbursement of pension and other benefits.**- (1) The Commissioner shall, with the approval of the Central Board, enter into arrangement for the disbursement of pension and other benefits under this Scheme with disbursing agencies like post office or nationalised banks or Treasuries or scheduled commercial banks including regional rural banks or co-operative banks **through electronic or digital funds transfer system.**

(2) The Commission payable to the disbursing agencies and other charges incidental thereto shall be met as provided in paragraph 27 of the Scheme.”

[F. No. S-35012/7/2016-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

Note: The Employees' Pension Scheme, 1995 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 748(E), dated the 16th November, 1995 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 1191(E) dated the 30th December, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2017

सा.का.नि. 438(अ).—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 6ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी निक्षेप-सहबद्ध स्कीम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी निक्षेप-सहबद्ध (संशोधन) स्कीम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
 2. कर्मचारी निक्षेप-सहबद्ध स्कीम, 1976, के पैरा 24 के उप-पैरा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-
- “(3) व्यक्ति जिसको संदाय किया जाना है, को किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या किसी डाकघर की इलैक्ट्रानिक या डिजिटल निधि अंतरण प्रणाली के माध्यम से संदाय किया जाएगा।”

[फा. सं. एस-35012/7/2016-एसएस-II]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण: कर्मचारी भविष्य-निधि स्कीम, 1952 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.नि. आ. 488(अ) तारीख 28 जुलाई, 1976 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.-1192(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2016 द्वारा किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2017

G.S.R. 438(E).—In exercise of the powers conferred by section 6C read with sub-section (1) of section 7 of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Deposit-Linked Insurance (Amendment) Scheme, 2017.
(2) It shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976, in paragraph 24, for sub-paragraph (3), the following shall be substituted, namely:-
“(3) The payment may be made to the person, to whom payment is to be made through electronic or digital funds transfer system in any Scheduled commercial bank or any post office.”

[F. No. S-35012/7/2016-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

Note: The Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 488(E), dated the 28th July, 1976 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 1192(E) dated the 30th December, 2016.